न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपीडी/टीए/4241/2004/अलवर

1 कैलाशचन्द पुत्र घीसाराम जाति चमार निवासी दूनवास
2 प्रहलादसिंह पुत्र छुट्टनलाल जाति जाट निवासी शहजादपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर

अपीलार्थीगण

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार, कोटकासिम

प्रत्यर्थी

खण्ड पीठ
श्री वी.श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री मोडूदान देथा, सदस्य

उपस्थितः श्री अयूब खां वकील अपीलार्थीगण
श्री वी.पी.सिंह राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांकः.28.8.18

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा प्रकरण संख्या 121/2003 में पारित निर्णय दिनांक 10.8.2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी वर्तमान प्रत्यर्थी ने प्रार्थना पत्र धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम शहजादपुर तहसील मुण्डावर की हाल आराजीखसरा नम्बर 244 रकबा 4 बीघा भूमि अप्रार्थी संख्या 1/ अपीलार्थी संख्या 1 कैलाशचन्द के खातेदारी में राजस्व अभिलेख में दर्ज है जो कि जाति से चमार होकर अनुसूचित जाति का सदस्य है। कैलाशचन्द ने उक्त भूमि का हस्तान्तरण अप्रार्थी संख्या 2/ अपीलार्थी संख्या 2 प्रहलादसिंह जाति जाट को कर दिया जो अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है। यह हस्तान्तरण धारा 42(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विपरीत होने से अप्रार्थीगण को बेदखल कर विवादित आराजीयात को सिवायचक दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें। अप्रार्थीगण ने जबाबदावा प्रस्तुत कर वाद का

खण्डन किया। विचारण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 10.6.2003 से वाद स्वीकार कर डिक्री कर दिया। इसके विरूद्ध भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 10.8.2004 से अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित आराजी पर कब्जा अपीलार्थी संख्या 1 कैलाशचन्द खातेदार का ही है। विवादित भूमि का विक्रय पत्र में स्पष्ट रूप से यह अंकित किया हुआ है कि यदि विक्रय के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत हो जावेगा तो क्रेता विक्रय प्रतिफल अदा कर देगा एवं विक्रेता क्रेता को कब्जा सौंप देगा। नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं होने की स्थिति में विवादित भूमि का कब्जा क्रेता को नही दिया गया है जिससे वास्तविक रूप से विवादित भूमि का हस्तान्तरण नहीं हुआ है। विवादित भूमि आज भी अपीलार्थी संख्या 1 कैलाशचन्द के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में है। विक्रय पत्र नुमाईशी है। डी.बी.सिलि रिट याचिका संख्या 3554/99 निर्णय दिनांक 28.11.2000 में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा तथा महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राजस्थान के आदेश दिनांक 11.5.2001 की पालना में विक्रय पत्र का पंजीयन कराया गया है। जिससे विक्रय पत्र के आधार पर अपीलार्थीगण को दण्डित नहीं किया जा सकता। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित भूमि अनुसचित जाति के सदस्य के खातेदारी की भूमि है जिसने पंजीकृत विक्रय पत्र से विवादित भूमि का हस्तान्तरण गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति के पक्ष में किया है। यह हस्तान्तरण धारा 42(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विपरीत है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय अथवा अन्य किसी भी न्यायालय या राज्य सरकार ने इस प्रकार के हस्तान्तरण को सदभावी नहीं माना है। विक्रय पत्र की फोटो प्रति पत्रावली में उपलब्ध उसके अनुसार बैय की राशि चुकता बेरून अदालत प्राप्त करली है। अब कुछ लेना देना बाकी नहीं रहा है। मौके पर क्रेता का उक्त खाली विक्रती भूमि पर वास्तविक कब्जा करा दिया है। आज के बाद मेरा अथवा मेरे वारिसान का उक्त विक्रय भूमि से कोई सम्बन्ध नही रहेगा। पंजिकृत दस्तावेज के सत्य की उपधारण रहेगी। उसका सप्रमाण खण्डन अपीलार्थी ने नहीं किया है। अपीलार्थीगण को विधिवत सुनवाई का अवसर दिया गया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती हैं। अतः यह अपील खारिज की जावे।

5. हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. विचारण न्यायालय ने विवादित भूमि अनुसूचित जाति के सदस्य के खातेदारी की होना तथा खातेदार द्वारा पंजीकृत विकय्र पत्र से विवादित भूमि का हस्तान्तरण अपीलार्थी संख्या 2 प्रहलादसिंह जाट के पक्ष में किये जाने को धारा 42(बी) अधिनियम के विपरीत मानते हुए धारा 175 अधिनिमय का वाद स्वीकार किया है। इसके विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील को भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर ने हस्तान्तरण अवैध मानते हुए खारिज की है।

7. यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि का खातेदार वर्तमान अपीलार्थी संख्या 1 कैलाशचन्द जाति चमार है। जो कि अनुसूचित जाति का सदस्य है। खातेदार अनुसूचित जाति के सदस्य ने विवादित भूमि का हस्तान्तरण अपीलार्थी संख्या 2 प्रहलादसिंह जाति जाट के पक्ष में पंजीकृत विक्रय पत्र से किया है। यह हस्तान्तरण धारा 42(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विपरीत है। अपीलार्थीगण का यह तर्क कि विवादित भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण नहीं हुआ है, मानने योग्य नहीं है क्योंकि विवादित भूमि का हस्तान्तरण पंजीकृत विक्रय पत्र से किया गया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने सभी तथ्यों का विवेचन करते हुए समवर्ती निर्णय पारित किया है जिसमें हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं एवं यह अपील खारिज करना उचित समझते हैं।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह अपील खारिज की जाती है एवं भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर का निर्णय दिनांक 10.8.2004 यथावत रखा जाता हैं।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोडूदान देथा)
सदस्य

(वी.श्रीनिवास)
अध्यक्ष